Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाई माधोपुर जिला आबकारी अधिकारी को 20 हजार रुपये मासिक बन्धी पहुँचाने के आरोप में किया गिरफ्तार**
- **तत्कालीन प्रभारी, भ्रष्टाचार निरोधक यूनिट, सवाईमाधोपुर भैरुलाल को पहुँचाता था मासिक बन्धी**

जयपुर, *22 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय द्वारा आज शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिला आबकारी अधिकारी मधुसूदन सैनी को तत्कालीन प्रभारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यूनिट–सवाईमाधोपुर भैरूलाल उप अधीक्षक पुलिस को 20 हजार रुपये मासिक बन्धी के रूप में देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि पिछले दिनों ए.सी.बी. द्वारा तत्कालीन प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यूनिट–सवाईमाधोपुर उप अधीक्षक पुलिस भैरूलाल को जिला परिवहन अधिकारी से 80 हजार रुपये की मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसी मामले में दर्ज प्रकरण का अनुसंधान ए.सी.बी. मुख्यालय पर **अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में **पुलिस अधीक्षक–द्वितीय भ्र.नि.ब्यूरो** द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान में यह पाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी मधुसूदन सैनी भी तत्कालीन प्रभारी भैरूलाल के लगातार संपर्क में था तथा ए.सी.बी. की कार्यवाही से बचने के लिये मासिक बन्धी के रूप में रकम पहुँचाता था। जिस पर एसीबी द्वारा आज जिला आबकारी अधिकारी मधुसूदन सैनी से मुख्यालय पर पूछताछ की गई तथा बाद पूछताछ उसके द्वारा तत्कालीन एसीबी यूनिट प्रभारी भैरूलाल को 20 हजार रूपये बतौर मासिक बन्धी पहुँचाने की बात स्वीकार करने पर, प्रकरण में उसे भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से विस्तृत एवं गहन अनुसंधान किया जा रहा है। ए.सी.बी. द्वारा आरोपी मधुसूदन सैनी को गिरफ्तार कर आज विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक प्रकरण में पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में आरोपीगण भैरूलाल उप अधीक्षक पुलिस एवं महेश चन्द डी.टी.ओ. द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका भी **माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा खारिज की जा चुकी है।** ए.सी.बी. द्वारा उक्त प्रकरण में जिले के अन्य तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत के संबंध में गहन अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।